राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(45) ग्राविवि/ग्रुप–5/PMAY-G/M-1/बैठक/2017–18 जयपुर, दिनांक 13 जुलाई, 2018

–:: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यवाही विवरण ::–

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा आयोजित वीसी दिनांक 10.07.18 के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत आवास एप पर किये गये नये प्रावधानों एवं आवास + एप के संबंध में जिला परिषद् अधिशाषी अभियन्ता, (अभि.) / आवास प्रभारी अधिकारियों एवं एमआईएस कार्मिकों का दिनांक 13.07.2018 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एनआईसी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चिन्हित वंचित पात्र परिवारों का विवरण/जानकारी एवं जिओ टैग फोटो अपलोड करने हेतु "आवास + एप" का अंतिम वर्जन जारी कर दिया गया है एवं आवास एप पर नये प्रावधानों के संबंध में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। बैठक के दौरान उक्त संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही करने हेतु जिलो को निर्देशित किया गया :–

1. मंत्रालय द्वारा आवास एप पर अंतिम बीटा वर्जन जारी कर दिया गया है, जिसमें आधार नम्बर की अनिवार्यता हटा दी गई एवं आधार नंबर व लाभार्थी की सहमति पत्र ब्लॉक आईडी से एडिट ऑप्शन में जाकर वेब पार्टल पर अपलोड किये जाने का प्रावधान किया गया है।
2. चिन्हित पात्र परिवारों की जानकारी/विवरण एवं जिओ टैग फोटो अपलोड करने का कार्य दिनांक 31.07.2018 तक पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।
3. योजनान्तर्गत पूर्ण आवासों के फोटो अस्प्ष्ट व अपूर्ण अपलोड कर दिये गये है, जो पब्लिक डोमेन में होने के कारण किसी भी व्यक्ति द्वारा देखे जा सकते हैं, जिससे योजना की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस क्रम में पुनः पूर्ण आवासों के स्पष्ट एवं कंवर्जेस की सुविधाओं सहित फोटो अपलोड करने के निर्देश दिये गये हैं। इस हेतु "आवास ऐप" पर एनआईसी द्वारा अलग से प्रावधान किया गया है, के संबंध में विस्तार से बताया गया।
4. आवास सॉफ्ट पर आ रही अनियमित भुगतान यथा गलत खाते में राशि हस्तानांतरण, रजिस्ट्रेशन के समय लाभार्थी का खाता नम्बर परिवर्तन हो जाना आदि से संबंधित समस्याओं को गंभीरता से लिया जाकर विभाग स्तर पर तुरन्त अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।
5. आवास सॉफ्ट पर अन्य तकनीकी समस्याऐं जो एनआईसी स्तर से संबंधित है, को सपोर्ट पर भेजकर टोकन नंबर लिया जावे, 7 दिवस में समस्याओं का निराकरण नहीं होने पर टोकन नंबर एवं लाभार्थी की आईडी सहित विभाग स्तर पर अवगत कराया जावे, ताकि समस्याओं का निराकरण कराया जा सके।
6. विभाग स्तर से संबंधित समस्याओं हेतु लाभार्थी आईडी व स्क्रीनशॉट के साथ ईमेल द्वारा भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(के.के.शर्मा)
अधीक्षण अभियंता, ग्राविं

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविं एवं पंरावि, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्राविं एवं पंरावि, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
4. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
5. जिला कलक्टर, जिला समस्त।
6. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
8. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

अधीक्षण अभियंता, ग्राविं